प्रेषक,

मित्र पाल सिंह,
पीठासीन अधिकारी,
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 919 /भू०अ०पु०पु०प्रा०गोरखपुर/2024 दिनांकः 20 अप्रैल, 2024

विषयः **चिकित्सा प्रतिपूर्ति रू० 8293/- मात्र को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको यह अवगत कराना है कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी का उपचार दिनांक 04.03.24 से 08-04-24 तक जिला अस्पताल, गोरखपुर में कराया गया एवं कुल रू० 8293/- मात्र का व्यय किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्रांक सं० 469 दिनांक 20-24-2024 के द्वारा उक्त चिकित्सीय प्रपत्रों की परीक्षणोपरान्त **रू० 8293/-** मात्र की धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु संस्तुति की गयी है जिसकी मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी के उपचार दिनांक 04.03.24 से 08-04-24 तक कराये गये उपचार की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति धनराशि रू० 8293/- स्वीकृत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

20.4.2024

(मित्र पाल सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।